

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।  
क्रि०मि० वाद सं० 641/2018  
प्रथम पक्ष- मकबुल शेख

13/12/18

बनाम  
द्वितीय पक्ष- जाकिर शेख यगै०  
दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही  
आदेश

आवेदक द्वारा दिनांक 25.10.2018 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा	चौहद्दी			
				उ०	द०	पु०	प०
पियारपुर	162	1690, 1694, 1733, 1695 का कुछ भाग एवं 1732	03 बीघा	हुमायू शेख दीगर	मजाहर शेख	निज रास्ता एवं तालाब	रास्ता एवं झरू शेख

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा पियारपुर, जामबंदी सं० 162 के कुल रकवा 03 बीघा जमीन प्रथम पक्ष के शांतिपूर्ण भोग दखल में है एवं उक्त वर्णित मौजा पियारपुर, जामबंदी सं० 162 के कुल रकवा 03 बीघा जमीन जमीन आवेदक के पिता स्व० एन्ताज अली द्वारा रजिस्टर्ड बिक्री केवाला द्वारा खरीदा गया है तथा आवेदक के पिता स्व० एन्ताज अली द्वारा जमीन खरीदने के बाद से शांतिपूर्ण स्वत्व एवं दखल तथा व्यवस्था में थे। एन्ताज अली के मरने के बाद वर्णित जमीन आवेदक के एवं उसके परिवार के अन्य वारिसों के शांतिपूर्ण स्वत्व एवं दखल व्यवस्था में चला आ रहा है। वर्णित जमीन गंगा क्षेत्र का है एवं गंगा के बहाव की दिशा परिवर्तन से जमीन जो कि पूर्व में बंगाल में था, जो बिहार में आ गया एवं अब झारखण्ड में है। मौजा पियारपुर के जमीन का रेकार्ड बंगाल में है तथा कुछ रैयत बंगाल में रहते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन बंगाल में हुआ है तथा कुछ रैयत के कागजात पहले राजमहल अंचल में था अब उधवा अंचल में है एवं विषयगत जमीन राधानगर थाना क्षेत्र एवं राजमहल अनुमंडल अन्तर्गत आता है। विपक्षीयगण के द्वारा दिनांक 23.10.2018 को हथियार से लैश होकर वर्णित मौजा पियारपुर, जामबंदी सं० 162 के कुल रकवा 03 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर से जोतने का प्रयास कर रहे थे एवं जमीन को जबरदस्ती टाटी से घेर रहे थे। आवेदक एवं उनके परिवार के सदस्यगणों के द्वारा मना करने पर विपक्षीयगण आवेदक एवं उसके परिवार के लोगो को हथियार दिखाकर गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने का प्रयास करने लगे एवं धमकी देते रहे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई एवं खुन-खराबे तथा शांति भंग की प्रबल संभावना है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरुद्ध संपुष्ट करने की प्रार्थना की गयी है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व में भी वर्णित जमीन मौजा पियारपुर, जामबंदी सं० 162 के कुल रकवा 03 बीघा जमीन पर दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन क्रि०मि० केस नं० 352/18 दायर किया गया था, जो समाप्त हो चुका है, जबकि प्रथम पक्ष ने अपने पृच्छा में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है एवं तथ्य को न्यायालय से छिपाये है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। प्रथम पक्ष ने मौजा पियारपुर के जमाबंदी नं० 162 के दाग नं० 1692, 1694, 1733, 1695 के कुछ भाग एवं दाग नं० 1732 के कुछ भाग, कुल रकवा 03 बीघा जमीन एक ही जगह पर है तो भिन्न-भिन्न दाग नम्बर देखने से विदित है कि जमीन एक जगह नहीं है, इसलिए प्रथम पक्ष का द्वारा दायर वाद बेबुनियाद एवं भेग है एवं भूमि के विवरणों में दागों के अनुसार जमीन तथा उसकी चौहद्दी भी

*(Handwritten signature)*

अलग-अलग नहीं दर्शाया गया है।, जिससे सही पहचान करना कठिनाई है, इसलिए यह केश चलने योग्य नहीं है। पूर्व में दाखिल क्रि०मि० केस नं० 352/18 में दाग नं० 1726 में रकवा 25 डिसमिल तथा दाग नं० 1727 में रकवा 10 कट्टा दर्शाया गया है और वर्तमान में 5 दागों को दर्शाया गया है। रकवा भी अलग नहीं दिया गया है। प्रथम पक्ष ने मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्य को लाकर न्यायालय का बहुमूल्य समय को नष्ट करने एवं द्वितीय पक्ष को परेशान करने की नीयत से यह वाद दायर किये हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत विबन्द माना गया है एवं जमीन का दखल संबंधी विवादों का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर न्याय प्राप्त करना चाहिए। उक्त मौजा पियारपुर तौजी नं० 232 जमाबंदी नं० 158 के दाग नं० 1690, कुल 44 डिसमिल जमीन के अन्दर 24 डिसमिल एवं दाग नं० 1733 में कुल 31 डिसमिल के अन्दर 11 डिसमिल जमीन मजरूदी शेख एवं आना अंश का जमीन जाकिर शेख ने खरीदा है। इसके उपरांत मजरूदी शेख एवं बजरूदी शेख एवं तामुरदी शेख से निबंधित केवाला के द्वारा उसी मौजा के दाग नं० 1734 का कुल 12 डिसमिल जमीन से 04 डिसमिल जमीन जाकिर शेख ने खरीदा है। वर्ष 1922 में बंगाल सरकार के द्वारा मौजा पियारपुर के तौजी नं० 232, जमाबंदी नं० 158 के खतियानी रैयत 1. रमजानी मंडल, पिता- स्व० भोलु शेख 2. बीबीजान बीबी, पति- स्व० इब्राहिम शेख 3. मजुरदी शेख 4. तमुरदी शेख 5. पनोरदी शेख, सभी पिता- स्व० गाजोरदी शेख 7. कुलु शेख, पिता- स्व० जरीप शेख जिसमें विभिन्न दागों का जमीन सम्मिलित था, परन्तु सन् 1960 में पुनः बंगाल सरकार के द्वारा मौजा पियारपुर के जमाबंदी नं० 158 के स्थान पर सेटलमेंट हुआ और नया जमाबंदी नं० 162 कायम हुआ तथा खतियान बना, जिसमें रामजानी का नाम हटाकर उनका बेटा हैदर हुसैन पिता रमजानी शेख का नाम चढा तथा मजुरदी शेख का नाम ज्यों का त्यों चढा तथा कुलु शेख उर्फ तमोरदी शेख का नाम चढा एवं जारन शेख उर्फ पनोरदी शेख तीनों पिता स्व० गाजोरदी शेख चढा, जिसमें भिन्न-भिन्न रकवा है तथा हर दाग में 6 आना अंश मजोरदी दीगर का नाम तथा दस आना का अंश हैदर हुसैन के नाम दर्ज हुआ। मौजा पियारपुर के दाग नं० 1695, 1732, 1729 व 1730 से कुल जमीन 69 डिसमिल में से 49 डिसमिल अर्थात् 01 बीघा 10 कट्टा जमीन 1. सोहराली शेख 2. तैमुर शेख, पिता- स्व० इब्राहिम शेख ने निबंधित विक्रय दलील सं० 5291, दिनांक 09.08.1988 के द्वारा हासेन शेख व मकबुल शेख, पिता- स्व० उजिर शेख के पास बिक्री किया है। जबकि जलालुद्दीन शेख, पिता- स्व० इदरीस शेख ने अपने हिस्से की जमीन मौजा पियारपुर के जमाबंदी नं० 158, पेज नं० 230, दाग नं० 1695, 1732, 1694, 1729 एवं 1730 का कुल रकवा 58 शतक के अन्दर 51 शतक अर्थात् 01 बीघा 11 कट्टा 04 धूर जमीन निबंधित विक्रय केवाला 5292, दिनांक 09.08.1988 के द्वारा हासेन शेख व मोकबुल शेख, पिता- स्व० उजिर शेख के पास बिक्री किया है। हासेन शेख व मोकबुल शेख ने निबंधित विक्रय केवाला सं० 3730, दिनांक 18.07.2007 के जरिये जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर शेख के पास मौजा पियारपुर के दाग नं० 162 के कुल रकवा 41 शतक के अंदर दस आना अंश में से योनि 87½ शतक में से 66 शतक अर्थात् 02 बीघा जमीन बिक्री किये हैं, जिसपर क्रेता जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर शेख दखलकार हुए और अपने नाम से नामांतरण भी कराये हैं। स्व० मजरूदी शेख दीगर द्वितीय पक्ष के नाना थे उनकी मृत्यु के पश्चात हैदर हुसैन दखलकार हुए और वे अपना अंश इब्राहिम शेख, ईदरीस शेख, जमसेद अफसर व दुःखु शेख के पास बिक्री कर समाप्त कर चुके हैं। मौजा पियारपुर के दाग नं० 1697 एवं 1727 का कुल रकवा 10 कट्टा जमीन नुरबानु बीबी, पति- विशु शेख एवं नूरजहान बीबी, पति- लाल मोहम्मद शेख ने जाकिर हुसैन के पास निबंधित विक्रय केवाला सं० 2032 दिनांक 20.04.2009 के जरिये बिक्री किये हैं। क्रेता जाकिर शेख देकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के छः आना अंश की जमीन को हड़पने की नीयत से झुठा केस लाये हैं, जबकि प्रथम पक्ष को प्रश्नगत जमीन से कोई अधिकार व लगाव नहीं है। द्वितीय पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से भोग दखल करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाये हैं। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों ने निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है:-


प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है:-


1. निबंधित विक्रय केवाला सं०-3732, दिनांक 18.07.2007 में निर्गत केवाला की छाया प्रति।
2. निबंधित विक्रय केवाला सं० 84/10 की छाया प्रति एवं उसका हिन्दी रूपांतरण।
3. निबंधित विक्रय केवाला सं० 2285/2007 की छाया प्रति एवं उसका हिन्दी रूपांतरण।

4. निबंधित विक्रय केवाला सं० 2191/1957 की छाया प्रति एवं उसका हिन्दी रूपांतरण।  
द्वितीय पक्ष ने अपने समर्थन में निम्न कागजात कागजात दाखिल किया है—

1. मौजा पियारपुर, जमाबंदी नं० 162 से संबंधित विभिन्न वर्षों के खजाना रसीद की छाया प्रति।
2. मौजा पियारपुर जमाबंदी नं० 162 के खतियान की छाया प्रति।
3. निबंधित विक्रय केवाला सं० 3730 दिनांक 18.07.2007 जिसमें विक्रेता हासेन शेख क्रेता जाकिर हुसैन की छाया प्रति।
4. शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
5. अचल अधिकारी, उधवा द्वारा निर्गत दाखिल-खारिज की छाया प्रति।
6. निबंधित विक्रय केवाला सं० 2032 दिनांक 20.04.2009 की छाया प्रति।
7. मौजा पियारपुर, जमाबंदी नं० 162 के लगान रसीद वर्ष 2010-11 में निर्गत की छाया प्रति।
8. निबंधित विक्रय केवाला सं० 2455, दिनांक 09.06.2009 की छाया प्रति।
9. मौजा पियारपुर, जमाबंदी नं० 158 के लगान रसीद वर्ष 2010-11 की छाया प्रति।
10. निबंधित विक्रय केवाला सं० 5292 दिनांक 09.08.1988 की छाया प्रति।
11. निबंधित विक्रय केवाला सं० 5291 दिनांक 09.08.1988 की छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मामला जमीन के अधिकार से संबंधित है, जिसका निपटारा इस वाद के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अतएव वाद की कार्यवाही समाप्त (Drop) किया जाता है।  
लेखापित एवं संशोधित

  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
राजमहल

  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
राजमहल